प्रेसनोट
दिनांक 31.05.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण तथा हत्याभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में:–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–376/24, धारा 302,201 भादवि से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01.रामनेवटिया पुत्र मदन गोपाल नि0 रानीबाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा 02. शिवा कनौजिया पुत्र रामपदारथ नि0 गुडलक स्कूल वाली गली मोहल्ला बड़गांव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को डीजल लोकोसेट के बगल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार व 01 अदद बिजली का तार बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.05.2024 को करीब सुबह 8:00 बजे लालपुर चन्द्रभान गांव के ग्राम प्रधान द्वारा थाना को0 नगर पुलिस को सूचना दी गयी कि गांव के बाहर सम्मय माता मंदिर जाने वाली सड़क के किनारे एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौके पर पहुँचकर जांच की गयी, तो जांच में पाया गया कि मृतक के आंख व सिर पर चोट के निशान है। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी। मृतक की शिनाख्त सूरज गुप्ता पुत्र धर्मप्रकाश गुप्ता नि0 रानीबाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के रूप में हुई थी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। मृतक के पिता धर्मप्रकाश गुप्ता पुत्र रामसागर गुप्ता नि0 रानीबाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के जल्द से जल्द अनावरण हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 को0 नगर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस/साइबर को भी घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था। आज दिनांक 31.05.2024 को थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस/साइबर की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. रामनेवटिया पुत्र मदन गोपाल, 02. शिवा पुत्र रामपदारथ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों से हुई पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक व अभियुक्त राम नेवटिया के बीच पैसे का लेन देन था। मृतक अक्सर राम नेवटिया से अपने पैसे की डिमांड किया करता था। इसी बात के चलते अभियुक्त रामनेवटिया मृतक से क्षुब्ध था इस लिए रामनेवटिया ने अपनी दुकान में काम करने वाले शिवा के साथ मिलकर मृतक सूरज गुप्ता को मारने की योजना बनायी । दिनांक 27.05.2024 की रात्रि करीब 20:00 बजे अभियुक्तों द्वारा सूरज गुप्ता को कार में बैठाकर शराब पिलायी और लखनऊ–गोण्डा मार्ग पर गोल्डन फेयरी के पास एक सुनसान जगह में गाड़ी

रोककर गाड़ी में अभियुक्त रामनेवटिया द्वारा सूरज का नाक मुहं दबाया गया और शिवा द्वारा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर पीछे से सूरज के गले में रुमाल से वायर लपेटकर गला कस दिया गया। जिससे सूरज की मृत्यु हो गयी। इसके उपरान्त अभियुक्तगण मृतक की लाश को ठिकाने लगाने हेतु बालपुर की तरफ गए किन्तु सुनसानध्उपयुक्त जगह न मिलने के कारण वापस एस0सी0पी0एम0 कालेज की तरफ आये और फैमिली रेस्टोरेन्ट के नजदीक सर्विस रोड पर करीब 200 मीटर अन्दर जाकर सुनसान जगह पर शव को फेंक कर चले गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रामनेवटिया पुत्र मदन गोपाल नि0 रानीबाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. शिवा कनौजिया पुत्र रामपदारथ नि0 गुडलक स्कूल वाली गली मोहल्ला बड़गांव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–376/24, धारा 302,201 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त रामनेवटिया का आपराधिक इतिहासः–

01. मु0अ0सं0–280/24, धारा 323,452,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार यू0पी0 32 एल वाई 3542।
02. 01 अदद बिजली का तार।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 को0नगर राजेश सिंह।
02. उ0नि0 सुनील सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।
03. उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम।
04. उ0नि0 शादाब आलम प्रभारी साइबर मय टीम।
05. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय।
06. उ0नि0 बलिराम।
07. का0 गोविन्द कुमार।
08. का0 प्रभाकर यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.05.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 145/2024, धारा 363, 366, 376(2)/N भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त लाले उर्फ गुलशन पुत्र साहब निषाद निवासी ग्राम कल्यानपुर बाबाज्ञान दास पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को नगवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिग लड़की को विपक्षीगण द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0- 145/2024, धारा 363, 366, 147, 504, 506, 352 भादवि व 3(2)VA, 3(2)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम लाले उर्फ गुलसन आदि 06 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। वादिनी के वायन के आधार पर धारा 376(2)/N भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त लाले उर्फ गुलशन पुत्र साहब निषाद निवासी ग्राम कल्यानपुर बाबाज्ञान दास पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को आज दिनांक 31.05.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. लाले उर्फ गुलशन पुत्र साहब निषाद निवासी ग्राम कल्यानपुर बाबाज्ञान दास पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 145/2024, धारा 363, 366, 376(2)/N भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा

02. हे0का0 विक्रम बहादुर सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.05.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 25 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 35,000/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दुराचार करने के आरोपी राजेश कुमार यादव पुत्र राम सूमरे उर्फ निक्के निवासी सोनी हरलाल अहिरनपुरवा थाना को0नगर, जनपद गोण्डा को 25 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा पीडिता के साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त 01. राजेश कुमार यादव पुत्र राम सूमरे उर्फ निक्के निवासी सोनी हरलाल अहिरनपुरवा थाना को0नगर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना को0नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/पॉक्सो कोर्ट गोण्डा द्वारा 25 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. राजेश कुमार यादव पुत्र राम सूमरे उर्फ निक्के निवासी सोनी हरलाल अहिरनपुरवा थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-96/21, धारा 363, 366, 376(3) भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.05.2024, मॉनीटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र धनलाल निवासी मंगलनगर बरईपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को आजीवन कारावास व रु० 55,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्त – मनोज कुमार पुत्र धनलाल निवासी मंगलनगर बरईपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना खरगूपूर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोण्डा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु० 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. मनोज कुमार पुत्र धनलाल निवासी मंगलनगर बरईपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -184/21 धारा 498ए, 304B/302 भादवि 3/4 DP एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।